

27.08.2024-पत्रावली पेशी में ली गई। समयपक्ष उपस्थित।
प्रार्थी का वादपत्र खारिज (विद्धा) हो गया। मूल
वाद पत्र (विद्धा) होने के कारण प्रार्थना-पत्र में
कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र
(विद्धा) होने के कारण प्रार्थी का उक्त
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में
वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली
नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील
दाखिल दफ्तर हो।

Dwyc

सहायक क्लर्क
एवं उपखण्डाधिकारी
बनुमानगढ़

